

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 173904

पटना, दिनांक- 13-1-2014

गा0 वि05/ सा0आ0जन0-103-13 /2013

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-
सह-मुख्य एस.ई.सी.सी.
शिवहर ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत अर्जित सूद की राशि से निजी ऑपरेटरों के भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग:- आपके पत्र संख्या 153, दिनांक-4.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत प्राप्त दावा / आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन एवं अंतिम सूची के प्रकाशन हेतु विभागीय पत्र संख्या-173304, दिनांक-6.1.2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा स्पष्ट निदेश दिये गये हैं । उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि COIS को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने हेतु ECIL, द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार जिले में उपलब्ध आवास सॉफ्ट सहायक, प्रिया सॉफ्ट सहायक एवं कार्यपालक सहायक की सेवा ली जा सकती है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि COIS का कार्यान्वयन उपरोक्त उल्लेखित विभागीय पत्र द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के आलोक में ही शीघ्र कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन



(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

86

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 173304

पटना, दिनांक- 6-1-2014

शा0 वि05/ सा0आ0जन0(प्रारूप प्रका0)-103-09 /2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत प्राप्त दावा/ आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन एवं अंतिम सूची के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन, समय सीमा के अंदर प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन एवं अंतिम सूची का प्रकाशन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि COTS के अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्तियों की गहन समीक्षा प्रतिदिन करते हुये इस कार्य को युद्धस्तर पर निर्धारित समयावधि के अंदर पूर्ण कराया जाय ।


2. विदित हो कि ECIL के द्वारा COTS के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी बल उपलब्ध कराया जाना है, परन्तु कुछ जिलों द्वारा विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि ECIL के द्वारा पर्याप्त संख्या में तकनीकी बल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण COTS का डाटा अपलोडिंग एवं उसके ससमय निष्पादन में कठिनाई हो रही है ।

इस संबंध में गहन समीक्षोपरान्त कहना है कि COTS को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु ECIL के द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार जिले में उपलब्ध आवास सॉफ्ट सहायक, प्रिया सॉफ्ट सहायक एवं कार्यपालक सहायक की सेवा ली जा सकती है एवं अतिरिक्त रखे गये कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि की माँग उनके द्वारा किये गये कार्य (डाटा इन्ट्री) के आधार पर विभाग से की जा सकती है । अतिरिक्त रूप से रखे गये इन कर्मियों का विवरण निम्न प्रपत्र में संघरित करें ।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	SECC में कार्य करने की अवधि	किये गये काम का सार	कार्य पर व्यय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

अनुरोध है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में SECC अंतर्गत COTS के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन



(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

जापांक- 173304

दिनांक- 6-1-2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


6-1-14
प्रधान सचिव